जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.04.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 088/2025 धारा 137(2), 87, 64(2)एम बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मनीष राजभर पुत्र संतोष कुमार राजभर निवासी पोपया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को पेट्रोल पम्प मलौली के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 25.02.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 अनिल प्रसाद, का0 रवि चौरसिया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें मे अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ''ऑपरेशन कनविक्शन''अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.04.2025 को मा0 ***न्यायालय – जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा ***थाना खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2112/2008 धारा 379,411 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता जयप्रकाश तिवारी पुत्र सुफीर निवासी बभनौली थाना बिरनो जनपद गाजीपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 379 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से व धारा 411 भादवि के में अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदायगी करने पर 05 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 02.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / (एफ0टी0सी0-2) जनपद संतकबीरनगर के द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2012 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता हरिद्वार उर्फ रामू पुत्र तुलसीराम निवासी रनियापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 01 वर्ष के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.04.2025

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 34 स्थानों पर लगवाये गये 178 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 03.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से *34 स्थानों पर कुल 178 सीसीटीवी कैमरें* लगवाये गये। थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 22 कैमरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 20 स्थान पर 90 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 04 स्थान पर 17 कैमरा, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 स्थान पर 29 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, ***आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।***

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 03.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’ अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविक्शन’’अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.04.2025 को मा0 न्यायालय– एएसजे/ एसपीजे / पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 272/2021 धारा 376/506 भादवि, 5/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता रामचन्द्र गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता निवासी नगर पंचायत हरिहरपुर जिला संतकबीरनगर को वाद संख्या 734/2021, मु0अ0सं0 272/2021 धारा 376 भादवि0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध अभि0 राचन्द्र गुप्ता पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में संतकबीरनगर में निरूद्ध है और अभिरक्षा वारण्ट सहित आज न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त रामचंद्र गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराया जाता है। अभि0 रामचंद्र गुप्ता को अंतर्गत धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अर्थ दंड अदना करने पर 01 वर्ष की साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। धारा-428 दं0प्र0स0 के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को उसकी कारावास की अवधि से मुजारा किया जावें। अर्थ दंड की राशि जमा होने पर धारा 357 द0प्र0स0 के अंतर्गत संपूर्ण राशि मु0 5000 रूपया पीड़िता को अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। दोष सिद्ध रामचन्द्र गुप्ता को सजायती वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर भेजा जाये।